

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या: कोविड-19/2021 1369

दिनांक: मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 548/पॉच-5-2020, दिनांक: 14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम् संसोधन) दिनांक: 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांक: 30 जून 2021 तक या जब तक अगोत्तर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हों, के लिए विधिमाम्य रहेगी।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: 11/फ/2021-22/3247, दिनांक: 26 अप्रैल 2021 द्वारा प्रत्येक जनपद में 02 सी0एच0सी0 पर कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु 50 बेड क्रियाशील किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में निम्न चिकित्सालयों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के परामर्श से कोविड-19 एल-1 प्लस कोविड चिकित्सालय चिह्नित करते हुए, कोविड रोगियों के उपचार हेतु तत्काल क्रियाशील करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र0सं0	चिह्नित कोविड एल-1 प्लस चिकित्सालय का नाम	कोविड-19 मरीजों हेतु बेड क्षमता	नोडल/प्रभारी अधिकारी का नाम
1	100 बेड हास्पिटल सिरौलीगौसपुर, बाराबंकी	40	डा0 आर0बी0राम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
2	सामु0स्वा0केन्द्र बड़ागाँव, बाराबंकी	10	डा0संजीव कुमार, अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र

उपरोक्त दोनों चिकित्सालयों को मानव संसाधन एवं अन्य समस्त सुविधाओं सहित तैयार किया जाये एवं आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए परिसर के अन्य भाग को भी तैयार रखा जाये। चिह्नित एल-1 प्लस कोविड चिकित्सालय के नोडल अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के निर्देशानुसार कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु करने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था प्राप्त निर्देशों एवं गाईड लाईन के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।


(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्या: कोविड-19/2021 17011

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित--:

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन लखनऊ
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
4. आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 अयोध्या मण्डल अयोध्या।
6. प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--:
7. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
8. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार कोविड चिकित्सालय संचालित करने हेतु मानव संसाधन की डि्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।
10. अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।
11. उप जिला अधिकारी, सिरौलीगौसपुर बाराबंकी।
12. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, "100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर बाराबंकी
13. अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र बड़ागाँव/सिरौलीगौसपुर बाराबंकी
14. समस्त अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र बाराबंकी।
15. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी